भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 239

21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में पीएमजीएसवाई-तृतीय चरण

239. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तृतीय चरण के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत और पूरी निर्मित की गई सड़कों की लंबाई तथा पूरी होने के लिए शेष बची सड़कों की लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कासरगोड जिले का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाले विलंब पर ध्यान दिया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यों को समय पर पूरा करने और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) के तहत कुल 1,406 किमी लंबी सड़क (280 सड़कें) और 11 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 16 जुलाई, 2026 तक 1,022 किमी (139 सड़कें) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 377 किमी लंबी सड़क (141 सड़कें) और 11

पुल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमजीएसवाई-III को पूरा किए जाने की समय-सीमा मार्च 2028 है। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई की विभिन्न पहलों के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं और निर्माण के चरणों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट ***https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb*** पर वास्तविक समय के आधार पर देखा जा सकता है।

(ख): पीएमजीएसवाई-III के तहत कुल 286.66 किमी की 95 सड़कें और 11 पुल निर्माण के लिए शेष हैं। पूर्ण हो चुकी और शेष बची परियोजनाओं में मामूली अंतर विभिन्न परियोजनाओं में समय से पहले बंद करने और सड़क की लंबाई को हटा दिए जाने के कारण है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, पूर्ण और जारी कार्यों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	**स्वीकृत**			**पूर्ण**			**प्रगति में**		
	सड़कों की संख्या	**लंबाई (कि.मी.)**	**पुलों की संख्या**	**सड़कों की संख्या**	**लंबाई (कि.मी.)**	**पुलों की संख्या**	**सड़कों की संख्या**	**लंबाई (कि.मी.)**	**पुलों की संख्या**
2023-24	111	591.68	-	48	423.42	-	63	168.26	-
2024-25	33	159.86	11	1	41.46	-	32	118.4	11
2025-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल:	**144**	**751.54**	**11**	**49**	**464.88**	**-**	**95**	**286.66**	**11**

(ग): जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, कासरगोड पीआईयू से कोई भी प्रस्ताव पीएमजीएसवाई-III योजना के तहत स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। हालांकि, पीएमजीएसवाई-IV के तहत कुल 7 किमी की लंबाई वाली 7 सड़कों का एक प्रस्ताव वर्तमान में जांच के अधीन है।

(घ): इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान पीएमजीएसवाई के सभी कार्य शुरुआती पांच साल के रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। इस अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है और इसे एक अलग खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास जमा किया जाना अपेक्षित है। 5 वर्षों की समाप्ति पर, अर्थात दोष देयता अवधि (डीएलपी) के बाद की अवधि के दौरान, इन सड़कों को 5 वर्षों की अवधि के लिए जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाता है, जिसमें समय-समय पर नवीनीकरण और रखरखाव शामिल होता है। इसके लिए बजट भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ही आवंटित किया जाता है।

(ङ) और (च): सरकार पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की निरंतर निगरानी करती है। मौजूदा परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ाने का एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमजीएसवाई-III के कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी।

संशोधित समय-सीमा के भीतर शेष कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और कार्यान्वयन की प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है। परियोजना के निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की मामले-दर-मामले आधार पर समीक्षा की जाती है और उनके समय पर समाधान की सुविधा के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करके आवश्यक हस्तक्षेप किए जाते हैं।

निर्धारित गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीएसवाई "क्वालिटी फर्स्ट" मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा समर्थित एक मजबूत त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का पालन करती है। यह एप्लिकेशन एक डिजिटल निरीक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो निर्माण चरणों के दौरान चरण-वार गुणवत्ता निरीक्षण, जियो-टैग की गई तस्वीरों के साक्ष्य और पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के दौरान डिजिटल रूप से चरण-वार कार्य पास करने की मंजूरी को सक्षम बनाता है। यह समग्र गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को सुदृढ़ करता है, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) द्वारा 4 आंतरिक निरीक्षण, राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) द्वारा 3 स्वतंत्र निरीक्षण और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा एक निरीक्षण शामिल है।
